

प्रकरण सं० अनवान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

जास (कार्लो जकाइ दिनांक 17.8.2017 को देखा दो) ✓

17-8-17

Not Press

07

17.8.17

(उत्तरा
निए
(उपखण्ड))

वकील उमयपदा-उप०। वकील प्राची प्रार्थना पत्र को प्रेस नहीं करते। अतः प्राची का प्रार्थना पत्र नेट प्रेस में खारिज किया जाता है। दिनांक 29-7-16 को जारी अस्थायी आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली जिसका श्रुमात्र होकर शामिल मूल काद के साथ संलग्न हो। ✓

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर